

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केस्य कोर्ट) केस्य खट्कडा नयागा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खट्कडा
व भू.अ.नि. बन्दी पुत्र गोपिण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरी / नायब
तहसीलदार रेलमगरी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खट्कडा तहसील रेलमगरी व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 372, 416 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>खट्कडा</u>	372	<u>बन्दी पुत्र गोपिण भील</u>	<u>बन्दी लाल पुत्र गोपिण भील</u>
02	"	416	— do —	— do —
03	—	417	<u>बदर</u>	<u>बन्दी लाल</u>

रेलमगरी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
राजसमन्द
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 10.10.25

क्रमांक- 310
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर चालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री बन्दी पुत्र गोपिण को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगरी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
राजसमन्द
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर